[2022] 8 एस. सी. आर. 628

बी. ए. उमेश

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2022 का आपराधिक आवेदन NO.1892)

04 नवंबर, 2022

[उदय उमेश ललित, सीजेआई, एस. रवींद्र भाट और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे. जे.]

सजा/सजाः मृत्युदंड-बलात्कार और हत्या के मामले में मृत्युदंड का प्रत्यर्पण-दया याचिका के निपटारे में देरी और दोषसिद्धि आदेश की तारीख से दया याचिका के निपटारे तक एकांत कारावास के आधार पर परिवर्तन की मांग-आयोजितः मृत्युदंड के निष्पादन में अनुचित लंबे विलंब से दोषी कैदी के लिए प्रार्थना करने का अधिकार होगा।

मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करना तथ्यों पर, कथित अवधि दो साल और तीन महीने की है, जो केंद्र सरकार द्वारा दया याचिका की प्राप्ति से लेकर अब तक है।

निपटान-दया याचिका का निपटान दो स्तरों पर किया गया था अर्थात,

उक्त अवधि के दौरान राज्यपाल और राष्ट्रपति-अधिकारियों और अधिकारियों द्वारा लिए गए समय को "अत्यधिक देरी" नहीं कहा जा सकता है-इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि दया याचिका पर निर्णय लेने में देरी हुई थी-जहां तक एकांत कारावास का संबंध है, किसी दोषी को उस दिन से अलग करना जब तक उसे मौत की सजा दी गई थी, जब तक कि उसकी दया याचिका का निपटारा नहीं किया गया था, यह निर्धारित कानून का उल्लंघन होगा।

सुनील बत्रा के मामले में-तथ्यों के आधार पर, 2006 से 2013 तक अभियुक्तों को एकांत कारावास और अलगाव में कैद किया गया था

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित-एकान्त कारावास की अवधि लगभग 10 वर्षों के लिए है-चिकित्सा पेशेवर द्वारा पत्र एकांत में कारावास के कारण अभियुक्त के कल्याण पर बुरा प्रभाव दिखाता है। कारावास-इस प्रकार, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, मृत्युदंड को न्यूनतम 30 वर्षों के लिए आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 मृत्युदंड के निष्पादन में अनुचित लंबे विलंब से दोषी कैदी को मृत्युदंड की सजा को कम करने के लिए प्रार्थना करने का अधिकार होगा।

मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास तक। तत्काल मामले में कथित अवधि दो साल और तीन महीने की है, अर्थात

केंद्र सरकार द्वारा 3.3.2011 पर दया याचिका की प्राप्ति से लेकर 15.5.2013 पर निपटान तक। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि उक्त दया याचिका की प्राप्ति के तुरंत बाद, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दया याचिका को प्रधान सचिव, गृह विभाग, कर्नाटक को भेज दिया ताकि राज्यपाल, कर्नाटक पहले दया याचिका पर विचार कर सकें। इस बीच, अपीलार्थी द्वारा दायर 2011 की रिट याचिका No.52 में 9.3.2011 पर, इस न्यायालय ने मृत्युदंड के निष्पादन पर रोक लगा दी थी। इस मामले पर राज्य मंत्रिमंडल ने 7.5.2012 पर विचार किया, जिसने नोट को मंजूरी देने का फैसला किया। दया याचिका को अस्वीकार करने की सिफारिश करते हुए गृह विभाग द्वारा तैयार किया गया। इसके बाद इस मामले को माननीय के समक्ष रखा गया

राज्यपाल जिन्होंने 06.06.2012 पर दया याचिका खारिज कर दी। माननीय राज्यपाल और संबंधित द्वारा पारित आदेश की प्रति दस्तावेज़ राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को 30.08.2012 पर भेजे गए थे। 18.09.2012 पर, निश्चित रूप से

केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई थी जिसे केंद्र सरकार को 26.12.2012 पर प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद यह मामला केंद्र सरकार के स्तर पर उठाया गया। गृह मंत्रालय ने माननीय राष्ट्रपति के लिए एक उपयुक्त नोट तैयार किया, जिन्होंने पूरे मामले पर विचार करने के बाद दया याचिका को खारिज कर दिया।

12.05.2013 . [पैरा 14,15] [652-डी-एच; 653-ए-बी]

1.2 2 साल और 3 महीने की अवधि में 03.03.2011 से 15.05.2013 तक की पूरी अवधि में दो अलग-अलग स्तरों पर दया याचिका का निपटारा किया गया, एक, माननीय राज्यपाल द्वारा और दूसरा माननीय राष्ट्रपति द्वारा। हर समय, इस न्यायालय द्वारा 19.3.2011 पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था जो पूरे समय काम कर रहा था। सबसे पहले, समय इनमें से प्रत्येक अधिकारी और उनकी सहायता करने वाले अधिकारियों द्वारा लिए गए कार्यों को "अत्यधिक देरी" के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है या कहा नहीं जा सकता है और दूसरी बात, ऐसा नहीं था कि हर गुजरता दिन अपीलार्थी की पीड़ा को बढ़ा रहा था। फांसी पर रोक लगाने के आदेश ने मामले को एक अलग दृष्टिकोण में रखा था। दिए गए तथ्यों में और

मामले की परिस्थितियों में, पहला निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 16,17] [653-सी-ई] 2.1 एकान्त कारावास के संबंध में, बेलगाम केंद्रीय कारागार के चिकित्सा अधिकारी द्वारा 6.11.2011 पर लिखे गए पत्र में [2022] 8 एस. सी. आर. लिखा था।

कि अपीलार्थी को एकान्त कारावास में रखा गया था और कहा गया कि दूसरे निवेदन के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा पत्र पर बहुत अधिक भरोसा किया गया है। पत्र के अनुसार, अपीलार्थी को अक्टूबर, 2006 में जेल में भर्ती होने के बाद से एकांत कारावास में रखा गया था और डायरिया, बुखार, नाक बहना और पीठ दर्द जैसी सामान्य बीमारी के अलावा, अपीलार्थी को अवसाद के साथ मनोविकृति से पीड़ित पाया गया था। यह पत्र इस तथ्य की भी पुष्टि करता है कि अपीलार्थी मानसिक रूप से बीमार था। [पैरा 19]

[654 - सी-डी-एफ]

2.2 अपीलार्थी के स्वास्थ्य और कल्याण की जाँच करने में चिकित्सा अधिकारी का कार्य स्पष्ट रूप से कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 29 के अधिदेश के कारण था। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि 2006 से 2016 तक, अपीलार्थी को "अंधेरी ब्लॉक" में एकांत कारावास में रखा गया था और इसके बाद ही, एकल की कठोरता में कुछ छूट दी गई थी।

कारावास को प्रभावित किया गया था और जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है, 2016 के बाद से स्थितियों में धीरे-धीरे ढील दी गई थी। [पैरा 20] [654-जीएच; 655-ए-बी] 2.3 किसी दोषी को उस दिन से अलग करना जब उसे मौत की सजा सुनाई गई थी जब तक कि उसकी दया याचिका का निपटारा नहीं हो जाता।

सुनील बत्रा के मामले में इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन होगा। तत्काल मामले में, निचली अदालत द्वारा 2006 में अपीलार्थी को मौत की सजा सुनाई गई थी और दया याचिका का अंत में माननीय राष्ट्रपति द्वारा 12.5.2013 पर निपटारा किया गया था, जिसका अर्थ है कि अपीलार्थी को एकांत में कैद करना। 2006 से 2013 तक कारावास और अलगाव कानून की मंजूरी के बिना था और सुनील बत्रा के मामले में इस अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के पूरी तरह से खिलाफ था। [पैरा 21] [655-सी-डी]

2.4 तत्काल मामले में, एकान्त कारावास की अवधि लगभग दस वर्षों के लिए होती है और इसके दो तत्व होते हैंः एक, 2006 से 2013 में दया याचिका के निपटारे तक; और दूसरा इस तरह के निपटारे की तारीख से 2016 तक। [पैरा 23] [657-बी]

2.5 पूरे मामले पर विचार करने के बाद, तत्काल मामले में एकांत कारावास का प्रभाव स्पष्ट रूप से स्पष्ट था, जैसा कि 6.11.2011 पर चिकित्सा पेशेवर द्वारा दिए गए पत्र और 8.11.2011 पर जेल से निकलने वाले संचार से स्पष्ट होगा। इस प्रकार एकान्त कारावास में कारावास ने अपीलार्थी के कल्याण पर बुरा प्रभाव दिखाया। बी. ए. उमेश बनाम की पृष्ठभूमि में।

भारत और ओआरएस का संघ।

मामले की इन विशेषताओं के अनुसार, अपीलार्थी को मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने का अधिकार है। [पैरा 25] [658-सी-डी]

2.6 अभिलेख पर तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए, न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा को कम करते समय, आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। उस पर एक सवार के साथ कारावास लगाया जाता है कि वह

न्यूनतम 30 वर्ष की सजा भुगतनी होगी और यदि उसकी ओर से माफी के लिए कोई आवेदन किया जाता है, तो उसे 30 वर्ष की वास्तविक सजा भुगतने के बाद ही उसके गुण-दोष पर विचार किया जाएगा। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है, तो आजीवन कारावास की सजा का अर्थ उसके शेष जीवन तक होगा। [पैरा 27] [659-ए बी]

3. मृत्यु में दया याचिकाओं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया के संबंध में इस निर्णय के पैराग्राफ 3 (एफ) में उद्धृत निर्देश

सजा के मामले, एक असंगत स्थिति की ओर ले जाते हैं। इसके अनुसार, दया याचिका सात दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए।

अपील का निपटान या विशेष अनुमति याचिका को खारिज करना। एक दोषी अभियुक्त तीस के भीतर पुनर्विचार याचिका दायर करने का हकदार है। दिन होते हैं। तत्काल की तरह एक विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहां समीक्षा दायर करने से पहले ही दया याचिका की आवश्यकता होती है -

दाखिल किया जाए। संबंधित निर्देश में उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है ताकि दोषी आरोपी अदालत में उपचार समाप्त होने के बाद दया याचिका दायर कर सके। [पैरा 29] [659-सी-डी]

महापंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य। (2014) 9 एससीसी 737: [2014] (11) एस. सी. आर. 1009; मो. मन्नान उर्फ अब्दुल मन्नान बनाम बिहार राज्य (2019) 16 एससीसी 584: [2019] (8) एस. सी. आर. 266- संदर्भित।

ए. जी. पेरारिवलन बनाम अधीक्षक के माध्यम से राज्य

पुलिस और एन. आर. 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 635-विशिष्ट।

सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन और अन्य (1978) 4 एस. सी. सी. 494; अजय कुमार पाल बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. 2015 (2) एससीसी 478: [2014] (12) एस. सी. आर. 441; गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 600: [1961] एस. सी. आर. 440-निर्भर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[2011] (2) एससीआर 367

पैरा 3 (ई)

संदर्भित किया गया है

[2014] (11) एससीआर 1009

पैरा 3 (एच) (आई)

संदर्भित किया गया है

(1978) 4 एससीसी 494

उस पर भरोसा करें

पैरा 21,25

[2014] (12) एससीआर 441

उस पर भरोसा करें

पैरा 21,25

[2019] (8) एससीआर 266

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[1961] एससीआर 440

उस पर भरोसा करें

पैरा 27

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2022 का सं. 1892।

उच्च न्यायालय के 29.09.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 की रिट याचिका No.53944 में बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार की ओर से।

डॉ. युग मोहित चौधरी, सिद्धार्थ शर्मा, प्रभु

रामसुब्रमण्यम, सुश्री पायोशी रॉय, रघुनाथ सेतुपति बी., सुश्री. प्रिया आर., के. परी वेंधन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., निखिल गोयल, ए. ए. जी., सुश्री सोनिया माथुर, सीनियर.

एड. , सुश्री खुशबू अग्रवाल, सुश्री प्रेरणा ढल्ल, सुश्री सिमरजीत सिंह सलूजा, सुघोश सुब्रमण्यम, शैलेश मडियाल, संजय कुमार त्यागी, अरविंद कुमार शर्मा, शुभ्रांशु पाधी, आशीष यादव, रक्षित जैन, विशाल बंशल, आदित्य के. रॉय, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, सीजेआई

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील 29.9.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश को चुनौती देती है।

बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित, जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका संख्या 53944/2016 (GM-Res) को खारिज कर दिया गया है। उक्त रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की गई थीः -

(ए)

" उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें

उत्तरदाताओं से संबंधित दया फाइलों को प्रस्तुत करने के लिए

याचिकाकर्ता, सभी संबंधित कागजात और पत्राचार

याचिकाकर्ता की दया याचिका से संबंधित, अवलोकन के लिए

न्यायालय का चूंकि याचिकाकर्ता एक दिखाने में सक्षम रहा है

इस तरह की प्रक्रियाओं में गंभीर और अप्रत्याशित देरी

उत्तरदाताओं द्वारा किया गया।

बी. ए. उमेश बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

गिरफ्तारी की तारीख से जेल से याचिकाकर्ता की मेडिकल फाइल को पेश करने का निर्देश देते हुए उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश और विशेष रूप से एक घोषणा पत्र जारी करें, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि याचिकाकर्ता को मृत्युदंड की सजा का निष्पादन (जैसा कि दिनांक 15.05.2013-F.No.14/1/2011-न्यायिक प्रकोष्ठ, अनुलग्नक एन यहाँ) राष्ट्रपति के कार्यालय द्वारा उसकी दया याचिका की अस्वीकृति के अनुसार किया गया है।

भारत असंवैधानिक और कानून की दृष्टि से खराब है। याचिकाकर्ता की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

याचिकाकर्ता द्वारा दायर दया याचिका को खारिज करने वाले भारत के राष्ट्रपति के आदेश को रद्द कर दें; याचिकाकर्ता द्वारा दायर दया याचिका को खारिज करने वाले कर्नाटक के राज्यपाल के आदेश को रद्द कर दें;

याचिकाकर्ता को (ए) और (बी) में उल्लिखित दस्तावेजों का निरीक्षण प्रदान करें;

न्याय और निष्पक्षता के हित में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी भी अन्य रिट, आदेश और निर्देश जारी करें।

उक्त रिट याचिका दाखिल करने वाले बुनियादी तथ्य इस प्रकार हैं -

मरादी सुब्बैया की पत्नी जयश्री को उसके घर में 28.02.1998 पर बलात्कार और हत्या का शिकार पाया गया, जिसके कारण पीन्या सर्कल में अपराध संख्या 108/1998 का पंजीकरण हुआ।

पुलिस स्टेशन, यशवंतपुर सब-डिवीजन, बेंगलुरु शहर।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

अपीलार्थी को उक्त अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था

2.3.1998 पर और तब से हिरासत में है। उचित जाँच के बाद, अपीलार्थी पर सत्र मामला सं।

725/1999 सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट VII, बेंगलुरु की फाइल पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं, 376 और 392 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए,

18601.

अपने दिनांक 26.10.2006 के निर्णय द्वारा, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया और दिनांक 27.10.2006 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन, मृत्युदंड की सजा सुनाई। अपीलार्थी था

तुरंत बेलगाम केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया और

बंदी। मौत की सजा की पुष्टि के लिए मामला दर्ज किया गया था

उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक संदर्भ सं. 3/2006। द.

अपीलार्थी ने आपराधिक अपील सं. 2408/2006 भी दायर की।

उसके विश्वास को चुनौती देना। इस मामले की सुनवाई दो न्यायाधीशों की पीठ ने की, जिसने दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की, लेकिन सजा दिए जाने पर असहमति जताई। जबकि न्यायमूर्ति श्री वी. जी. सभाहित ने मृत्युदंड की पुष्टि की।

श्री न्यायमूर्ति आर. बी. नाइक ने मौत की सजा को कम कर दिया।

आजीवन कारावास की सजा। इसलिए इस मामले को सजा के मुद्दे पर तीसरे न्यायाधीश यानी न्यायमूर्ति श्री एस. आर. बन्नूरमठ के पास भेजा गया, जिन्होंने अपने दिनांकित फैसले से मौत की सजा की पुष्टि की।

18.2.2009 .

अपीलार्थी द्वारा आपराधिक अपील सं. दायर करके मामले को आगे बढ़ाया गया। 285-286 / 2011 इस न्यायालय के समक्ष, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1.2.2011² के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था,

अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस पर लगाए गए मृत्युदंड की पुष्टि करना।

मौत की सजा के मामलों में दया याचिकाओं को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के अनुसार, एक मौत का दोषी अपनी याचिका खारिज होने के सात (7) दिनों के भीतर दया याचिका दायर कर सकता है।

हॉर्ट

वी. कर्नाटक उच्च न्यायालय, (2011) 3 एस. सी. सी. 85.

बी. ए. उमेश बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

इस न्यायालय द्वारा अपील या विशेष के लिए आवेदन की अस्वीकृति अपील करने के लिए छोड़ दें। इस संबंध में प्रासंगिक निर्देश इस प्रकार हैं: -

" I. मृत्युदंड के तहत एक दोषी को अनुमति दी जाएगी, यदि उसने पहले से ही दया के लिए याचिका प्रस्तुत नहीं की है, तो दया के लिए याचिका तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए, सात दिन बाद, और उस तारीख को छोड़कर जिस दिन जेल अधीक्षक उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसकी अपील को खारिज करने या सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए उसके आवेदन के बारे में सूचित करता है।

बशर्ते कि जिन मामलों में उच्चतम न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई है या सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है, वहां सात दिनों की उक्त अवधि की गणना उस तारीख के बाद की तारीख से की जाएगी जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने या सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए आवेदन दायर करने की अवधि समाप्त हो जाती है।

प्रक्रिया के अनुसार, अपीलार्थी ने सात दिनों के भीतर 8.2.2011 पर दया की मांग करने वाली याचिका को प्राथमिकता दी। अपीलार्थी ने इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1.2.2011 के निर्णय के खिलाफ समीक्षा याचिका को भी प्राथमिकता दी। लगभग उसी समय, लिखित याचिका (सीआरएल)। नं. 52/2011 अपीलार्थी द्वारा पसंद किया गया था। इस न्यायालय में, अन्य बातों के साथ-साथ, पुनरीक्षण याचिका में खुली अदालत की सुनवाई की राहत के लिए प्रार्थना की गई है। उक्त रिट याचिका में, इस न्यायालय ने दिनांक 9.3.2011 के आदेश द्वारा मृत्युदंड के निष्पादन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। अपीलार्थी द्वारा दायर समीक्षा याचिका को इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 7.9.2011 के आदेश के माध्यम से प्रसारित करके खारिज कर दिया गया था।

अपीलार्थी द्वारा दायर दया याचिका को माननीय राष्ट्रपति द्वारा 12.5.2013 पर खारिज कर दिया गया था। उस ओर से एक सूचना अपीलार्थी को 15.5.2013 दिनांकित पत्र के माध्यम से भेजी गई थी।

लेखन याचिका (सीआरएल) नं. अपीलार्थी द्वारा वरीयता प्राप्त 52/2011 का निर्णय रिट याचिका (सी. आर. एल.) के साथ किया गया था। नं. 77/2014 (मोहम्मद। आरिफ @अशफाक बनाम महापंजीयक, सुप्रीम [2022] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत का न्यायालय और अन्य) इस संविधान पीठ द्वारा

न्यायालय ने 2.9.2014[3] दिनांकित निर्णय के माध्यम से। बहुमत द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मृत्युदंड के अधिनिर्णय से उत्पन्न समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई इसके तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा खुली अदालत में की जानी चाहिए।

अदालत।

(1)

नतीजतन, समीक्षा याचिका जिसे खारिज कर दिया गया था

इससे पहले, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जो अपने आदेश द्वारा दिनांकित था

3.10.20164 , पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और मृत्युदंड की सजा की पुष्टि की। आदेश में कहा गया है कि बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक तुलना करने और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय समीक्षा याचिका को अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं था या

दिनांकित 1.2.2011 आदेश को संशोधित करें।

इसके बाद कुछ दिनों के भीतर, रिट याचिका सं. 53944/2016

(के)

अपीलार्थी द्वारा राहत की मांग को प्राथमिकता दी गई थी जैसा कि यहाँ ऊपर निकाला गया है। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 20.10.2016 के आदेश द्वारा, उन पर लगाई गई मौत की सजा के निष्पादन पर रोक लगा दी

पेपेलेंट। इसके बाद, भारत संघ और राज्य की ओर से आपत्तियों के बयानों को प्राथमिकता दी गई। कर्नाटक, जिसके लिए प्रत्युत्तर दायर किए गए थे। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के तहत एक आवेदन को भी कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाने के लिए प्राथमिकता दी गई थी।

अपीलार्थी की चिकित्सीय स्थिति के बारे में।

4. अपने निर्णय और दिनांक 29.9.2021 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने

सेड उपरोक्त रिट याचिका। पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए:

ओ उच्च न्यायालयः -

“ (i) दया याचिका पर निर्णय लेने में उत्तरदाताओं के कारण कोई अत्यधिक, अस्पष्ट, अत्यधिक देरी नहीं होती है;

((ख)

21 भारत के संविधान का; निर्णय लेने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण सामग्री

(iii)

दया याचिका महामहिम के समक्ष रखी गई थी,

09 एससीसी 737। 04 एस. सी. सी. 124 बी. ए. उमेश बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

राज्यपाल और महामहिम, भारत के राष्ट्रपति और कुछ भी विचार से बाहर नहीं रखा गया है; याचिकाकर्ता को एकांत में नहीं रखा गया है।

बंदी "।

तत्काल मामले में उठाई गई चुनौती, नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय द्वारा पारित 31.1.2022 ने ई-अपीलार्थियों पर प्रस्तुतियों को निम्नानुसार नोट कियाः -

यह निष्कर्ष दर्ज करने के बाद भी कि दया याचिका के निपटारे में 550 दिनों की सीमा तक टालने योग्य देरी हुई थी,

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी।

पत्र विवादित नहीं था, याचिकाकर्ता को लगभग 11 साल तक एकांत कारावास में रखा गया था। इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा सुनील बत्रा बनाम में निर्धारित कानून। दिल्ली प्रशासन और अन्य 3 का उल्लंघन किया गया। चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखा गया पत्र बिल्कुल स्पष्ट था कि मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण याचिकाकर्ता कोई दया याचिका दायर करने में असमर्थ था। इस तथ्य को भी उच्च न्यायालय द्वारा सही परिप्रेक्ष्य में ध्यान में नहीं रखा गया था।

सहायता आदेश, इस न्यायालय ने कुछ दस्तावेजों के लिए भी कहा

राज्य सुनवाई की अगली तारीख से पहले अभियुक्तों से संबंधित सभी परिवीक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट हमारे सामने रखेगा। यदि एक से अधिक रिपोर्ट आई हैं, तो सभी रिपोर्टों को विचार के लिए रखा जाए।

यह न्यायालय। चूंकि बेंगलुरु में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एन. आई. एम. एच. ए. एन. एस.) ने पहले के अवसर पर याचिकाकर्ता का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया है, इसलिए एन. आई. एम. एच. ए. एन. एस. के निदेशक को याचिकाकर्ता के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त दल का गठन करने और उसे भेजने का निर्देश दिया जाता है।

सुनवाई की अगली तारीख से पहले एक रिपोर्ट।

जेल अधिकारी, बेलगाम केंद्रीय जेल, जहाँ याचिकाकर्ता वर्तमान में बंद है, पूरी मदद करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तक पहुँच और उचित मूल्यांकन को सुविधाजनक बनाने में संचालन

याचिकाकर्ता हर तरह से "।

6. जब मामला 21.4.2022 पर उठाया गया था, तो अपीलार्थी की ओर से दिए गए इस मुद्दे पर ध्यान देने के बाद कि अपीलार्थी ने सत्रों के निर्णय से ही एकांत कारावास में रखा था।टी, जिला न्यायाधीश, बेलगाम को एक आदेश देने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। आदेश का पाठ

एस के तहतः

" याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए बुनियादी प्रस्तुतियाँ थीं

दिनांकित 31.01.2022 क्रम में दर्ज किया गया। उन दलीलों को विस्तार से बताते हुए, विद्वान अधिवक्ता डॉ. युग मोहित चौधरी ने इस बात पर जोर दिया है कि याचिकाकर्ता को सत्र न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से ही एकांत कारावास में रखा गया था। हमारा ध्यान इस निवेदन के समर्थन में जेल नियमावली सहित विभिन्न दस्तावेजों की ओर आकर्षित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को अलग किया गया था और एक जेल में रखा गया था।

अलग प्रकोष्ठ, जो सुनील बत्रा आदि बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य में निर्धारित कानून के संदर्भ में एकांत कारावास के बराबर होगा। आदि 3.

राज्य सरकार की ओर से इस निवेदन का विरोध किया गया है

और हालांकि उच्च न्यायालय में कोई विशिष्ट जवाब दायर नहीं किया गया था रिट याचिका में बुनियादी आरोपों का विरोध करते हुए, श्री निखिल गोयल, राज्य के लिए ए. ए. जी., निर्देशों पर प्रस्तुत करते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जा सकती है ताकि इस न्यायालय को उन परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट जानकारी हो सके जिनमें याचिकाकर्ता को एक प्रकोष्ठ में दर्ज किया गया है।

यह सच है कि पीठ का गठन करने वाले माननीय न्यायाधीश

सुनील बत्रा का मामला खुद जेल परिसर में गया था।

उन शर्तों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने का आदेश जिसमें उक्त याचिकाकर्ता को दर्ज किया गया था। हम इस स्तर पर बेलगाम के जिला न्यायाधीश द्वारा किए जाने वाले स्थानीय निरीक्षण पर भरोसा कर सकते हैं, जो जिला विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार संभालते हैं।

सेवा समिति, बेलगाम। इसलिए हम जिला न्यायाधीश, बेलगाम को निर्देश देते हैं कि वे स्वयं स्थानीय निरीक्षण करें और तस्वीरों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यदि कोई हो, तो हमें आधार की स्पष्ट समझ रखने में सक्षम बनाने के लिए बी. ए. उमेश बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

स्थिति। रिपोर्ट बैरकों के स्थान पर केंद्रित होगी।

जिसमें मृत्युदंड के दोषियों के कक्ष स्थित हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि जो कोशिकाएं फांसी के करीब होती हैं

और जिनका उपयोग व्यक्तियों को फांसी दिए जाने के लिए किया जाता है, वे मृत्युदंड के दोषियों के लिए कक्षों से अलग हैं। निरीक्षण में इन मुद्दों को शामिल किया जाएगा कि क्या संबंधित प्रकोष्ठों के कैदियों को साथी कैदियों के साथ मिलने की अनुमति है।

जिस तरह से उन्हें भोजन परोसा जाता है और

जिस अवधि के लिए कैदियों को अपनी अलग-अलग कोठरी से बाहर आने की अनुमति है। ये केवल उदाहरणात्मक संकेत हैं। हम जो इकट्ठा करना चाहते हैं वह है मौत की सजा पाए दोषियों की विशिष्ट जीवन शैली और उनके दिन कैसे बिताए जाते हैं।

रिपोर्ट को जल्द से जल्द और नवीनतम बनाया जाए।

25.04.2022 .

रिपोर्ट निम्नलिखित पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगीः

ईमेल आईडी। : वीसी2। appearance@sci। ठीक है। में।

इस आदेश की प्रति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाने दें।

जिला न्यायाधीश, बेलगाम। याचिकाकर्ता की दया याचिका पर कार्रवाई के तरीके के बारे में हमारे विशिष्ट प्रश्न के लिए, सुश्री सोनिया माथुर ने सीखा

भारत संघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि

हमारे अवलोकन के लिए संबंधित फाइल। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह फाइल की प्रतियां बनाए और उसे संबंधित अधिवक्ता को वापस कर दे

कल तक रिकॉर्ड में। ”

7. तदनुसार, दिनांकित 21.4.2022 रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा गया है।

तस्वीर के साथ बेलगाम के जिला और सत्र न्यायाधीश

संबंधित जेल बैरकों और प्रकोष्ठों का ग्राफ। रिपोर्ट के तहतः -

1. " निर्देशों के अनुसार, मैं केंद्रीय जेल, हिंडलगा गया।

2.15 जेल अधिकारियों को पूर्व सूचना दिए बिना पी. एम. 2. संबंधित बैरक जिसमें मौत का दोषी श्री बी. ए. है।

उमेश को केंद्रीय जेल हिंडालगा में उत्तर-पूर्व की ओर पूर्व की ओर रखा गया है। छह कक्ष हैं जिनमें से प्रत्येक का माप लगभग 8x10 फीट है। प्रत्येक कक्ष के कोने में पर्याप्त पानी की सुविधा के साथ एक शौचालय है। प्रत्येक कैदी को एक फ्लैट [2022] 8 एस. सी. आर. दिया जाता है।

उपलब्ध है। ये छह कक्ष टाइल की छत के हैं। छह कक्षों को घेरते हुए, परिसर के भीतर बाहर गार्ड रूम और एक अन्य सामान्य शौचालय है। बैरक के परिसर में भी कपड़े आदि धोने की सुविधा है। यह बताया गया कि जेल में आरओ पानी की सुविधा भी है जो प्लास्टिक के बर्तनों में प्रदान की जाएगी। 3. इन छह कक्षों में से पाँच भरे हुए हैं। एक कोठरी में चार व्यक्ति अपहरण, डकैती और हत्या के अपराध में शामिल हैं। वे हैं सिद्धलिंगेश, सूरज, अक्षय और जमीर। एक अन्य कोठरी में दो लोग रहते हैं। , समीर और शकिब, जो आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध में शामिल हैं। एक अन्य कोठरी पर हत्या के एक मामले में शामिल बालू का कब्जा है। वे सभी विचाराधीन कैदी हैं।

4. शेष दो कक्षों में एक-एक व्यक्ति रहता है अर्थात आकाश देसाई को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत 10 साल के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है।

जेल में अस्पताल ब्लॉक भी है और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा जहां एक चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध है। अस्पताल में इनपेशेंट सुविधाएं भी हैं और इसके बगल में छोटी प्रयोगशाला भी है। कैदियों ने मुझे यह भी बताया कि वे साथी कैदियों से बात कर सकते हैं और दिन के समय कोई प्रतिबंध नहीं है। शाम को 6 बजे कक्षों को फिर से बंद कर दिया जाएगा। 6. यह सूचित किया जाता है कि सुबह लगभग 7:30 बजे नाश्ता परोसा जाता है, दोपहर का भोजन लगभग 1 बजे परोसा जाएगा और शाम का भोजन 4:30 बजे परोसा जाएगा। कैदी रात का खाना खाने के लिए स्वतंत्र हैं।

किसी भी समय उन्हें यह सुविधाजनक लगता है और वे एक साथ बैठकर खा सकते हैं।

भोजन की गुणवत्ता अच्छी और पर्याप्त है। जेल अधिकारियों ने बताया कि बैरक में बारी-बारी से कम से कम पांच गार्ड तैनात किए जाते हैं। 7. यह भी बताया गया कि एक कोठरी में एक टीवी लगा हुआ है जिसे सभी कैदी एक साथ देख सकते हैं।

8. यह भी बताया गया कि कैदियों को बेकरी आइटम खरीदने की स्वतंत्रता है जो कैदियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और जेल में ही बेचे जाते हैं। यह बताया गया कि कैदी अपनी कमाई से बेकरी के सामान खरीदते हैं। 9. छह कक्षों की उक्त बैरक से सटे, उत्तरी तरफ, फांसी की ओर जाने वाला एक द्वार है। मौत के दोषी के लिए कोई अलग कोठरी नहीं है, जिसे फांसी पर चढ़ाने से पहले कोठरी में रखा जाएगा।

10. इस प्रकार यह देखा गया है कि कोशिकाओं में पर्याप्त प्रकाश, हवा, पीने की क्षमता होती है।

पानी की सुविधा, टीवी देखने की एक सामान्य सुविधा, और नहाने और कपड़े धोने के लिए पर्याप्त पानी। कोठरियाँ जेल के भीतर एक अलग परिसर में संलग्न हैं। वे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच स्वतंत्र रूप से कक्षों में घूम सकते हैं।

11. कक्षों की तस्वीरें और वीडियो इस रिपोर्ट के साथ दयालु अवलोकन के लिए संलग्न हैं।

8. बाद की तारीख को, अपीलार्थी की ओर से अग्रिम प्रस्तुतियों पर 26.4.2022 दिनांकित आदेश में निम्नानुसार चर्चा की गईः -

" प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, बेलगावी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.04.2022 को रिकॉर्ड में रखा है। रिपोर्ट की प्रतियां पक्षों को सौंप दी गई हैं।

विद्वान अधिवक्ता डॉ. युग मोहित चौधरी प्रस्तुत करते हैं कि सुनवाई की अंतिम तिथि से, याचिकाकर्ता के वकील ने याचिकाकर्ता के साथ बातचीत की है। डॉ. चौधरी निष्पक्ष रूप से स्वीकार करते हैं कि

रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया है वह याचिकाकर्ता से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप है और यह कि रिपोर्ट संबंधित बैरक और प्रकोष्ठ की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है।

हालाँकि, वह प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को 2006 से बेलगावी जेल में "अंधेरी ब्लॉक" में रखा गया था जिसे आमतौर पर "अंधेरी ब्लॉक" कहा जाता है। अक्टूबर, 2016 तक अर्थात जब तक उच्च न्यायालय द्वारा [2022] 8 एस. सी. आर. को रोक नहीं दी गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मृत्युदंड का निष्पादन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उस ब्लॉक में 12 प्रकोष्ठ हैं और एक प्रकोष्ठ में केवल एक कैदी को रखा जाता है; याचिकाकर्ता को पूरे प्रवास के दौरान किसी भी समय अपनी प्रकोष्ठ से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, सिवाय 2 योग सत्रों के जो आयोजित किए गए थे और एक समारोह जिसमें कैदियों को भगवान अयप्पा की पूजा करने की अनुमति थी। उनके प्रस्तुतिकरण में जो जेल के अंदर उनके रहने की सबसे खराब अवधि थी और "अंधेरी ब्लॉक" में कोठरी में कारावास को निश्चित रूप से "एकांत" कहा जा सकता है।

कारावास "जैसा कि सुनील बत्रा आदि बनाम दिल्ली में वर्णित है प्रशासन और अन्य। Etc.5।

जिस पर रिपोर्ट बनाई गई है। हमें अदालत में मौजूद संबंधित जेल अधीक्षक के साथ बातचीत का भी लाभ मिला है। उन्होंने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता को जनवरी, 2019 तक "अंधेरी ब्लॉक" में रखा गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त "अंधेरी ब्लॉक" में एक कोठरी में केवल एक कैदी रखा गया है। हालाँकि, यह कहा गया है कि सभी कैदियों को 2 से 3 घंटे की अवधि के लिए दिन में तीन बार अपनी कोठरी से बाहर आने की अनुमति है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उन्हें सुबह लगभग 6:30 बजे बाहर निकाला जाता है और नाश्ते के बाद फिर से रखा जाता है, फिर से दोपहर के भोजन और रात के खाने के उद्देश्य से बाहर निकाला जाता है और अंत में शाम 5 बजे के आसपास फिर से रखा जाता है। उनके अनुसार, कुल मिलाकर, कैदियों को प्रतिदिन लगभग 6 घंटे के लिए अपनी कोठरी से बाहर आने की अनुमति है।

यह आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता को उनके पूर्ववर्ती द्वारा जनवरी, 2019 में वर्तमान बैरक में स्थानांतरित कर दिया गया था और तब से

याचिकाकर्ता को वर्तमान बैरक में सीमित कर दिया गया है

रिपोर्ट में वर्णित परिस्थितियाँ।

इसके बाद, श्री निखिल गोयल, राज्य के लिए विद्वान ए. ए. जी. और सुश्री सोनिया माथुर, भारत संघ के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की गईं। उनकी प्रस्तुतियों के समापन के बाद,

डॉ. चौधरी ने प्रत्युत्तर में अपनी दलीलें दीं।

9. हमने डॉ. युग मोहित चौधरी, विद्वान अधिवक्ता सहायक एस को सुना। पयोशी रॉय, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, श्री निखिल गोयल, बी. ए. उमेश बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता और सुश्री सोनिया माथुर, भारत संघ के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता। समापन के बाद प्रस्तुतियाँ, मामला आदेशों के लिए आरक्षित था।

10. इसके बाद पक्षों ने लिखित प्रस्तुतियाँ दायर कीं और

अपीलार्थी की ओर से दायर प्रस्तुतियाँ, चुनौती मुख्य रूप से दो आधारों पर उठाई गई हैः ((i) दया याचिका पर निर्णय लेने में देरी और (ii) एकल कारावास जिसके अधीन अपीलार्थी था। जिस पर

पहला अंक, निम्नलिखित चार्ट को रिकॉर्ड पर रखा गया हैः -

" अस्पष्टीकृत विलम्ब के चंक

देरी

एस. नं. तिथि

आयोजन

केंद्र सरकार आगे बढ़ती है

कोई स्पष्टीकरण नहीं है

कि यह क्यों लिया गया 1

3.3.11

1 .

राज्य को दया याचिका

वर्ष, 2 महीने और 5

दिन

राज्यपाल से सरकार ने मांगा जवाब

(432 दिन) भेजने के

लिए

ए

सिफारिशें

के लिए

पहले दया याचिका पर विचार करें।

राज्यपाल, या कोई

खाता

दया को अस्वीकार करने का निर्णय

7.5.12

कौन से कदम उठाए

गए थे

याचिका कैबिनेट में ली जाती है

दया याचिका पर

कार्रवाई करें

बैठक और सिफारिश है

इस अवधि में।

राज्यपाल को भेजा।

2 महीने और 25 दिन

(85)

दया याचिका खारिज की जाती है

2 .

6.6.12

दिन) आगे बढ़ने में देरी

राज्यपाल

केंद्र को दया याचिका

राज्य सरकार ने आगे कहा कि

30.8.12

सरकार।

द्वारा विचार के लिए दया याचिका

राष्ट्रपति।

केंद्र सरकार चाहती है कि

3 महीनों और 9 दिनों

की देरी

3 .

18.9.12

जानकारी के अनुसार

ऐसी जानकारी भेजें जो

आसानी से हो

राज्य सरकार

राज्य के साथ उपलब्ध

-

सरकार।

दया याचिका की प्रति

((i)

केंद्रीय

द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बावजूद

दोषी ठहराए गए कैदी

सरकार का अनुरोध है

कि

स्वयं, यदि कोई हो।

सूचना भेजी जाए

सबसे पहले (21.11.2012 अक्षर),

विगत का विवरण

((ख)

राज्य सरकार ने अभी

भी लिया

आपराधिक रिकॉर्ड।

एक और महीना। तथ्य

यह है कि

चिकित्सा स्वास्थ्य रिपोर्ट

(iii)

द्वारा एक अनुस्मारक

भेजा जाना था

((iv) नाममात्र की सूची।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27.11.12 केंद्र सरकार एक भेजती है

केंद्रीय

स्वयं

सरकार

राज्य को स्मरण पत्र

देरी की गवाही देता है।

सरकार भेजेगी जानकारी

दिनांकित पत्र द्वारा अनुरोध किया गया

18.9.2012 जल्द से जल्द।

26.12.12 राज्य सरकार ने आगे कहा कि

केंद्रीय को दिनांकित 18.9.2012

सरकार।

15.5.13 केंद्र सरकार ने देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया

4 .

राज्य सरकार के बारे में

4 महीनों और 20

दिनों में

दया याचिका की अस्वीकृति।

दया याचिका पर

निर्णय लेना, या

कौन से कदम थे, इसका कोई भी विवरण

दया को संसाधित करने

के लिए लिया गया

इस अवधि के दौरान

याचिका।

दया याचिका निर्णय के लिए प्रासंगिक समय अवधि

22 वर्ष, 11

महीने, 22 दिन

आज तक कुल अभिरक्षा का सामना करना पड़ा 2.3.1998-23.2.2021

(8,395 दिन)

कुल अभिरक्षा के तहत नुकसान हुआ

27.10.2006-23.2.2021

14 वर्ष, 3

महीने, 28 दिन

मृत्युदंड

(5,234 दिन)

2 वर्ष, 3 महीने, 7 दिन (827)

कुल देरी हुई

8.2.2011-15.5.2013

दया याचिका का निपटान

दिन) अर्थात

2.26 वर्ष "

राज्य सरकार. और सरकार। भारत का

एकान्त कारावास के मुद्दे पर, यह प्रस्तुत किया गया है:

" 31 . याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि उसे एकल कोठरी में रखा गया था

2006 2016 तक अंधेरी ब्लॉक नामक एक ब्लॉक में। इस दौरान

इस बार, उन्हें दिन का अधिकांश समय कोठरी के अंदर रखा गया था।

किसी अन्य कैदी से मिलने या बात करने की अनुमति नहीं है पूरी अवधि में उन्हें पूजा में भाग लेने की अनुमति दी गई और

केवल एक उदाहरण में एक योग शिविर। इसलिए 2006 से

2016 याचिकाकर्ता को सख्त एकांत कारावास में रखा गया था।

याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि 2016 के बाद की शर्तें

32 .

उनकी कैद में धीरे-धीरे ढील दी गई और वर्तमान में, बी. ए. उमेश बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

भले ही उसे एक ही कोठरी में रखा जाता है, उसे अनुमति दी जाती है

दिन के दौरान आंगन में अन्य कैदियों के साथ घुलमिल जाते हैं। याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि अनुरोध करने के बावजूद

माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिका के साथ-साथ इस माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी एस. एल. पी. में 2016 तक अपने एकान्त कारावास की विशिष्ट शर्तें

इसके विपरीत किसी भी सामग्री को अभिलेख पर नहीं लाया गया।

माननीय उच्च न्यायालय (एस. एल. पी. पी. जी. 316-325) के समक्ष और इस माननीय न्यायालय के समक्ष अपने दिनांकित 9.1.2017 के उत्तर में प्रत्यर्थी ने केवल यह कहा है कि याचिकाकर्ता पुस्तकालय और कैंटीन में जाने की अनुमति दी और समय-समय पर आगंतुकों को अनुमति दी और इसलिए उन्हें कैद नहीं किया गया

एकान्त कारावास का गठन करता है।

कि न तो उच्च न्यायालय के समक्ष और न ही इस माननीय न्यायालय के समक्ष जवाब में अपने हलफनामे में प्रत्यर्थी ने कहा कि याचिकाकर्ता को 2006-2016 के बीच अन्य कैदियों के साथ मिलने की अनुमति दी गई थी। यदि याचिकाकर्ता को अन्य कैदियों के साथ मिलने की अनुमति दी गई होती, तो उत्तरदाताओं ने पुस्तकालय और कैंटीन में जाने के तथ्य के साथ जवाब में अपने हलफनामे में इसका उल्लेख किया होता। इसलिए, यह स्पष्ट है कि इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी का मौखिक तर्क कुछ और नहीं बल्कि एक पश्चात्कल्प और बिना किसी विचार के है।

प्रमाणिक आधार। इसके अलावा, बेलगाम केंद्रीय कारागार के अधीक्षक द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान केवल

यह 2019 के बाद कारावास की शर्तों से संबंधित है, जब अधीक्षक ने बेलगाम केंद्रीय कारागार में अपना कर्तव्य ग्रहण किया था। ये बयान 2019 से पहले की कैद की शर्तों की पुष्टि नहीं करते हैं।

भारत संघ की ओर से दायर लिखित प्रस्तुतियों में कहा गया हैः -आरईः मर्सी का फैसला करने में संबद्ध विलम्ब

आईटायन

प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि याचिका पर निर्णय लेने में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई विलंब नहीं हुआ है। यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि कोई [2022] 8 एस. सी. आर. नहीं हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दया याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित विशिष्ट समय सीमा [देखें,

शत्रुघ्न चौहान और अन्न का अनुच्छेद 41-44। वी. संघ का भारत और ओआरएस।] और केवल अनुचित या अत्यधिक देरी ही क्या है

देखें [देखें, पैरा 16-17, त्रिवेणीबेन का पैरा 71-76 v. गुजरात राज्य ']। लिया गया समय

जानकारी को इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए

अनुचित माना जाता है। इसके अलावा, यह भी स्थापित किया गया है कि वहाँ

के प्रयोजनों के लिए निर्धारित कोई पूर्ण या अयोग्य नियम नहीं होगा

दया याचिकाओं में देरी का निर्धारण और कई कारक हैं -

प्रश्न पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है

मौत की सजा को खाली किया जाना चाहिए या नहीं [देखें, शेर सिंह और अन्य का पैरा 19। वी. पंजाब राज्य 3]। हर मामला

अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है।

तिथि

आयोजन

याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि और अधिरोपण

01.02.2011

उस पर मौत की सजा की पुष्टि की जाती है

माननीय सर्वोच्च न्यायालय।

याचिकाकर्ता की मां ने दया याचिका दायर की

08.02.2011

याचिकाकर्ता की ओर से। माननीय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई है

17.02.2011

उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.02.2011

पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जाती है।

07.09.2011

दया याचिका राज्यपाल द्वारा खारिज कर दी जाती है।

06.06.2012

दया याचिका प्रतिवादी द्वारा अग्रेषित की जाती है

30.08.2012

उत्तरदाता सं. 1 को सं. 2।

प्रत्यर्थी संख्या 1 कुछ दस्तावेजों का अनुरोध करता है,

18.09.2012 ,

चिकित्सा स्वास्थ्य रिपोर्ट सहित

27.11.2012

याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा भेजा जाना है। उत्तरदाता संख्या 2 ने दिनांकित पत्र का उत्तर दिया

26.12.2012

18.09.2012 आवश्यकताएँ प्रदान करें

जानकारी दी।

दया याचिका खारिज कर दी गई थी

12.05.2013

राष्ट्रपति।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी की ओर से देरी, यदि कोई हो नंबर 1 की गणना 26.12.2012 [जब आवश्यक हो] से की जानी चाहिए।

9) 1 एस. सी. सी. 678

3) 2 एस. सी. सी. 344 बी. ए. उमेश बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

केंद्र सरकार को जानकारी भेजी गई थी।] 12.05.2013 तक [जब दया याचिका अंततः खारिज कर दी गई]। यह राशि लगभग 5 महीने, जिसे अत्यधिक देरी नहीं माना जा सकता है। किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि

दया याचिका पर विचार करने में देरी प्रतिवादी संख्या 1 के कारण नहीं है।

उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने माननीय राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका की अस्वीकृति के आदेश के खिलाफ 17.10.2016 तक एक रिट याचिका को प्राथमिकता नहीं दी कि

2011 का सं. 52 (बी. ए. उमेश बनाम। पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय)। याचिकाकर्ता को उसी आधार पर नहीं रखा जा सकता था जिस पर एक दोषी को मौत की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उसके पास अभी भी एक न्यायिक मार्ग खुला था और फांसी की कोई वास्तविक आशंका नहीं थी।

बी. आरईः अलगाव समझौता

यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के एकांत कारावास का पहलू, यदि कोई हो, राज्य सरकार/प्रतिवादी संख्या 2 के दायरे में है और इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्तुतियाँ नहीं की जा रही हैं। किसी भी मामले में, 21.04.2022 दिनांकित आदेश के माध्यम से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश, बेलगाम को एक स्थानीय आदेश का संचालन करने का निर्देश दिया था।

कोई भी। उसी के संदर्भ में, माननीय न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट रखी गई थी जिसमें स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि याचिकाकर्ता को एकांत कारावास में नहीं रखा गया था। सी. आरईः माननीय राष्ट्रपति के नोटिस पर संबंधित रिकॉर्ड नहीं

यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता की दया याचिका को अस्वीकार करने से पहले माननीय राष्ट्रपति द्वारा संबंधित दस्तावेजों पर विधिवत विचार किया गया था। दया याचिका को माननीय राष्ट्रपति [2022] 8 एस. सी. आर. द्वारा विचार के लिए 30.08.2012 पर प्रतिवादी संख्या 1 को भेजा गया था।

संबंधित दस्तावेजों के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत। 18.09.2012 पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने चिकित्सा स्वास्थ्य रिपोर्ट के संबंध में अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज मांगे,

याचिकाकर्ता के संबंध में [पृष्ठ पर 18.09.2012 दिनांकित पत्र] 17 याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए गए अतिरिक्त दस्तावेजों का]। में।

अतिरिक्त दस्तावेजों के पृष्ठ 19 पर दिनांकित 26.12.2012 याचिकाकर्ता द्वारा दायर] "।

12. अब हम देरी के संबंध में पहली प्रस्तुति पर विचार करते हैं।

दया याचिका (ओं) के लंबित होने के कारण मृत्युदंड का प्रावधान। इस समय, हम अजय कुमार पाल बनाम में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के निर्णय से निम्नलिखित अंश का उल्लेख कर सकते हैं। भारत संघ और (जिसमें हम में से एक पक्ष था) जिसने कुछ निर्णयों को नोट किया

इस न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर आदेश दिया गयाः

" 7. इस सवाल पर कि क्या मौत की सजा के निष्पादन में देरी एक पर्याप्त आधार या आजीवन कारावास द्वारा इस तरह की सजा को प्रतिस्थापित करने का कारण हो सकता है, इस अदालत का ध्यान आकर्षित किया है।

समय की अवधि। इनमें से कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैंः

7.1 . टी. वी. वथीस्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य "ने मृत्युदंड की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न एक अपील में इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपीलार्थी को आठ साल पहले पहली अदालत द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। पहले के कुछ मामलों का उल्लेख करने के बाद, जहां अपीलीय कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान इस तरह की देरी पर विचार किया गया था, यह था

देखा गयाः (एससीसी पीपी। 78-79 , पैरा 21-21)

" 20. . . . संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां त्वरित सुनवाई का अधिकार एक संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार है, एक त्वरित सुनवाई से इनकार एक आरोपी व्यक्ति को अभियोग को खारिज करने या सजा को समाप्त करने का हकदार बनाने के लिए आयोजित किया गया है। (स्ट्रंक वी. संयुक्त राज्य अमेरिका [1973] 37 एल. एड. 56)। अमेरिकी कानून की समानता की अनुमति नहीं है, लेकिन हमारी व्याख्या करना

जैसा कि हम करने के लिए बाध्य हैं, हम नहीं पाते हैं

बी (2) एस. सी. सी. 68 बी. ए. उमेश बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

यह मानने में बाधा कि लंबे समय तक अमानवीय कारक

मृत्युदंड के निष्पादन में देरी हुई है किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित करने का संवैधानिक निहितार्थ

अपमान करने के लिए अन्यायपूर्ण, अनुचित और अनुचित तरीका संवैधानिक गारंटी कि कोई भी व्यक्ति उससे वंचित नहीं रहेगा

प्रक्रिया के अनुसार जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर

21 ..... अपील और राहत पर विचार करने के लिए आवश्यक समय के लिए सभी उचित छूट देते हुए, हम सोचते हैं कि मृत्युदंड की सजा के निष्पादन में दो साल से अधिक की देरी को व्यक्ति को अधिकार देने के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए। अनुच्छेद 21 को लागू करने और मृत्युदंड की सजा को रद्द करने की मांग करने के लिए मृत्युदंड। इसलिए हम विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हैं, अपील के साथ-साथ रिट याचिका को भी स्वीकार करते हैं और मौत की सजा को रद्द करते हैं। मृत्युदंड के स्थान पर हम आजीवन कारावास की सजा देते हैं।

2. शेर सिंह और अन्य बनाम। पंजाब राज्य 3 एक ऐसा मामला था जिसमें इस अदालत द्वारा अपील डी समीक्षा याचिका को खारिज करके मौत की सजा की पुष्टि पहले ही हो चुकी थी। के आधार पर

वथीस्वरन में सेवाएँ 1 0, निष्पादन में देरी थी

भारत का संगठन। यद्यपि न्यायालय वथीस्वरन 10 में टिप्पणियों के साथ मोटे तौर पर सहमत था, लेकिन वह इस बात से सहमत नहीं था कि प्रभाव को बढ़ावा देनाः (एस. सी. सी पी. 79, पैरा 21)

" 21. . . . मौत की सजा के निष्पादन में दो साल से अधिक की देरी को अनुच्छेद 21 को लागू करने और मांग करने के लिए मौत की सजा के तहत व्यक्ति को हकदार बनाने के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए।

मृत्युदंड पर सवाल उठाना "।

हालाँकि, दया याचिकाओं और उसके संबंध में शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में, यह पैरा 23 में निम्नानुसार देखा गया थाः (शेर सिंह मामले, एस. सी. सी. पीपी. 357-58) " 23. हमें इस अवसर पर भारत सरकार और राज्य सरकारों को यह समझाना चाहिए कि वे याचिकाएं दायर करते हैं

संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और 433 के तहत दायर याचिकाओं का शीघ्रता से निपटारा किया जाना चाहिए। एक स्व-लागू नियम [2022] 8 एस. सी. आर. होना चाहिए।

कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सख्ती से पालन किया जाता है, कि इस तरह के प्रत्येक याचिका का निपटारा तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

जिस तारीख को इसे प्राप्त किया जाता है। लंबा और अनंत इन याचिकाओं के निपटारे में देरी एक गंभीर बाधा है।

न्याय का वितरण और वास्तव में, इस तरह की देरी हिलाती है

न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास।

कई उदाहरणों का हवाला दिया जा सकता है, जिनके लिए यह रिकॉर्ड है

न्यायालय गवाही देगा, जिसमें याचिकाएं लंबित हैं।

राज्य सरकारों और भारत सरकार के लिए

अकथनीय रूप से लंबी अवधि। निस्संदेह, कार्यपालिका के पास है

लेकिन, अगर हम याद दिला दें, तो शक्ति का सभी प्रयोग पूर्व शर्त है निष्पक्ष और त्वरित होने के कर्तव्य से। देरी न्याय को हरा देती है।

3. इस मुद्दे का निपटारा संविधान पीठ के निर्णय द्वारा रिवेनीबेन बनाम में किया गया था। गुजरात राज्य ', जहाँ यह निष्कर्ष निकाला गया था कि "मृत्युदंड की सजा को निष्पादन योग्य बनाने के लिए देरी की कोई अवधि आयोजित नहीं की जा सकती थी।" अधिकारिता के प्रयोग का दायरा और दायरा

ऐसे मामलों को पैरा 22 में इस प्रकार चित्रित किया गया थाः (एस. सी. सी पी. 697)

" 22. . . . एकमात्र अधिकारिता जिसकी मांग की जा सकती है

एक कैदी द्वारा अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए प्रयोग किया जा सकता है

अंतिम न्यायिक फैसले के बाद की घटनाओं को चुनौती दें का उच्चारण किया जाता है और यह इस वजह से है कि

लंबे या अत्यधिक विलंब से एक दोषी कैदी संपर्क कर सकता है यह न्यायालय और यही वह है जो लगातार इस द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है

अदालत। लेकिन यह इस न्यायालय के लिए खुला नहीं होगा

अनुच्छेद 32 के तहत क्षेत्राधिकार पीछे जाने या जांच करने के लिए

एक सक्षम अदालत द्वारा अंतिम निर्णय दिया गया जिसमें दोषी ठहराया गया और

दोषी कैदी को सजा देना और यहाँ तक कि विचार करते समय भी

किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए परिस्थितियाँ बाद की परिस्थितियों के साथ अत्यधिक देरी

मृत्युदंड का निष्पादन उचित और उचित नहीं होगा। अपराध की प्रकृति, परिस्थितियाँ जिनमें अपराध

प्रतिबद्ध किया गया था जैसा कि सक्षम द्वारा पाया गया था

अंततः फैसला सुनाते हुए अदालत। यह भी हो सकता है

के लिए

खुला

अंतिम निर्णय घोषित किया गया था यदि इसे प्रासंगिक माना जाता है। द. बी. ए. उमेश बनाम के बाद कैदी के आचरण में सुधार का प्रश्न।

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

अंतिम निर्णय पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भी विचार नहीं किया जा सकता है कि क्या उस आधार पर सजा को बदला जा सकता है।

"भी।

4. 'शत्रुघ्न चौहान' में इस मुद्दे पर कानून पर विचार करने के बाद मृत्युदंड के निष्पादन में देरी और इसके परिणामस्वरूपशक्ति के प्रयोग के दायरे और दायरे में भी 38,41 और 42 को निम्नानुसार देखा गयाः (एससीसी पीपी। 38-39)

" 44. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि इसमें अनुचित लंबी देरी

मृत्युदंड के निष्पादन से दोषी को अधिकार मिलेगा

कैदी को अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत का दरवाजा खटखटाना है। हालांकि, यह न्यायालय केवल आसपास की परिस्थितियों की जांच करेगा जो देरी हुई है और जो सजा के बाद हुई है, उसकी अंततः न्यायिक प्रक्रिया द्वारा पुष्टि की गई। यह न्यायालय पहले से पहुंचे निष्कर्ष को फिर से नहीं खोल सकता है, लेकिन यह तय करने के लिए अत्यधिक देरी के सवाल पर विचार कर सकता है कि सजा का निष्पादन किया जाना चाहिए या नहीं।

आजीवन कारावास में परिवर्तित।

*

47. यह स्पष्ट है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद,

हर स्तर पर मामले में तेजी लाना। , अदालत में दाखिल किए गए अभिलेखों, आदेशों और दस्तावेजों के लिए बुलाना, संबंधित मंत्री के अनुमोदन के लिए नोट, और अंतिम

संवैधानिक अधिकारियों का निर्णय। इस अदालत में

वाक्य, यह निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विचार है कि क्या वाक्य की अनुमति दी जानी चाहिए फांसी दी या नहीं।

48. तदनुसार, यदि दया याचिकाओं के लंबित होने के कारण निष्पादन में अनुचित, अस्पष्ट और अत्यधिक देरी होती है या कार्यपालिका के साथ-साथ संवैधानिक अधिकारी प्रासंगिक पहलुओं पर ध्यान देने/विचार करने में विफल रहे हैं, तो यह न्यायालय [2022] 8 एस. सी. आर. की शिकायत सुनने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्तियों के भीतर है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दोषी ठहराएँ और मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करें

हालाँकि, केवल इस आधार पर, केवल इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि विलंब स्वयं अभियुक्त के कहने पर नहीं किया गया था।

इस हद तक न्यायशास्त्र का विकास हमारे संविधान के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए जनादेश के आलोक में हुआ है

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सार्वभौमिक घोषणाएँ और निर्देश

राष्ट्र "।

13. अजय कुमार पाल में तीन साल की देरी हुई थी।

और दस महीने जो अत्यधिक पाए गए और जो कहा गया था कि देरी उक्त याचिकाकर्ता के खाते में नहीं थी, बल्कि विचाराधीन अधिकारियों और अधिकारियों के खाते में थी। विशेष रूप से, इस मामले पर एकांत कारावास और उस संबंध में उल्लंघन के दृष्टिकोण से भी विचार किया गया था।

14. अजय कुमार पाल में उद्धृत 'शत्रुघ्न चौहान' मामले में इस अदालत के फैसले के अनुच्छेद 44 और 48 में कहा गया था कि

मृत्युदंड के निष्पादन में अनुचित लंबे विलंब से दोषी कैदी को मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के लिए प्रार्थना करने का अधिकार होगा। इसके बाद अलग-अलग मामलों को शत्रुघ्न चौहान में निपटाया गया और उक्त निर्णय के पैराग्राफ 105 से पता चलता है कि जिन मामलों में 12 साल (पैरा 118), साढ़े नौ साल (पैरा 137), साढ़े नौ साल (पैरा 147), सात साल और आठ महीने (पैरा 118) की देरी हुई थी।

161) , 5 वर्ष और 8 महीने (पैरा 175) और 7 साल और 5 महीने (पैरा 209), इस न्यायालय द्वारा परिवर्त्तन का लाभ बढ़ाया गया था। 15. यदि तत्काल मामले पर इन मामलों और तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में विचार किया जाता है, तो तत्काल मामले में कथित अवधि दो है।

वर्ष और तीन महीने यानी केंद्र सरकार द्वारा 3.3.2011 पर दया याचिका की प्राप्ति से लेकर 15.5.2013 पर निपटान तक। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि उक्त दया याचिका की प्राप्ति के तुरंत बाद, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दया याचिका को अग्रेषित कर दिया

प्रधान सचिव, गृह विभाग, कर्नाटक को याचिका ताकि राज्यपाल, कर्नाटक पहले दया याचिका पर विचार कर सकें। में।

इस बीच, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत 2011 की रिट याचिका No.52 में 9.3.2011 पर, इस न्यायालय ने मृत्युदंड के निष्पादन पर रोक लगा दी थी।

इस मामले पर राज्य मंत्रिमंडल ने 7.5.2012 पर विचार किया, जिसने गृह विभाग द्वारा तैयार किए गए नोट को मंजूरी देने का फैसला किया।

दया याचिका को अस्वीकार करने की सिफारिश करना। इसके बाद इस मामले को माननीय राज्यपाल के समक्ष रखा गया, जिन्होंने बी. ए. उमेश बनाम पर दया याचिका को खारिज कर दिया।

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

06.06.2012 . माननीय राज्यपाल द्वारा पारित आदेश और संबंधित दस्तावेजों की प्रति राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को 30.08.2012 पर भेजी गई थी।

18.09.2012 पर, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से कुछ जानकारी मांगी गई थी जो उन्हें प्रदान की गई थी

केंद्र सरकार 26.12.2012 पर। इसके बाद यह मामला केंद्र सरकार के स्तर पर उठाया गया। गृह मंत्रालय ने माननीय राष्ट्रपति के लिए एक उपयुक्त नोट तैयार किया, जिसके बाद

पूरे मामले पर विचार करते हुए 12.05.2013 पर दया याचिका खारिज कर दी गई।

16. इस प्रकार, 2 साल और 3 महीने की अवधि में 03.03.2011 से 15.05.2013 तक की पूरी अवधि में दया का निपटान देखा गया। दो अलग-अलग स्तरों पर याचिका, एक, माननीय राज्यपाल द्वारा और दूसरी माननीय राष्ट्रपति द्वारा। हर समय, इस न्यायालय द्वारा 19.3.2011 पर स्थगन का आदेश दिया गया था जो पूरे समय काम कर रहा था।

17. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से प्रत्येक प्राधिकरण और उनकी सहायता करने वाले अधिकारियों द्वारा लिए गए समय को न तो बुलाया जा सकता है और न ही कहा जा सकता है

" अत्यधिक देरी "और दूसरी बात, ऐसा नहीं था कि हर गुजरता दिन था

अपीलार्थी की पीड़ा को बढ़ाना। फांसी पर रोक लगाने के आदेश ने मामले को एक अलग दृष्टिकोण में रखा था। मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारे विचार में, पहली प्रस्तुति स्वीकृति के योग्य नहीं है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि ए. जी. पेरारिवलन बनाम राज्य में हाल ही में पुलिस अधीक्षक और ए. एन. आर. के माध्यम से एक निर्णय लिया गया है। , तीन की एक बेंच

इस अदालत के न्यायाधीशों ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दायर याचिका, सजा में छूट के लिए राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिशों के बावजूद, माननीय राज्यपाल के पास ढाई साल से लंबित थी। उस मामले में राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिशों और इस तरह के लाभ के बावजूद माननीय राज्यपाल द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था

आवागमन बढ़ाया गया था। इस प्रकार उक्त निर्णय में विचार के लिए सामने आए तथ्य इसके विपरीत पूरी तरह से अलग आधार पर खड़े हैं। तत्काल बात।

18. अब हम अपीलार्थी के एकान्त कारावास से संबंधित दूसरी प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। इस ओर से रिलायंस को सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य मामलों में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है।

ओआरएस। 5 5 ; . और अजय कुमार पाल के फैसले पर भी जिसमें अलगाव

1 12022 एससीसी ऑनलाइन एससी 635 [2022] 8 एस. सी. आर.

संबंधित याचिकाकर्ता की, जिस दिन से उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, जब तक कि उसकी दया याचिका का निपटारा नहीं किया गया था, का उल्लंघन किया गया था

सुनील बत्रास में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और मौत की सजा को दोनों मामलों में आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया था, अर्थात्; दया याचिका पर विचार करने में अत्यधिक देरी और एकांत कारावास जो संबंधित

याचिकाकर्ता के अधीन था।

19. तत्काल मामले में, बेलगाम केंद्रीय कारागार के चिकित्सा अधिकारी द्वारा 6.11.2011 पर लिखे गए पत्र में कहा गया था कि अपीलार्थी को एकांत कारावास में रखा गया था और कहा गया था कि दूसरे निवेदन के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा पत्र पर बहुत अधिक भरोसा किया गया है। पत्र के अनुसार, अपीलार्थी को उनके प्रवेश के बाद से एकांत कारावास में रखा गया था अक्टूबर, 2006 में जेल और डायरिया, बुखार, नाक बहना और पीठ दर्द जैसी सामान्य बीमारी के अलावा, अपीलार्थी को अवसाद के साथ मनोविकृति से पीड़ित पाया गया। उल्लेखनीय है कि बेलगावी केंद्रीय कारागार के मुख्य अधीक्षक द्वारा कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और आई. जी. को निम्नलिखित प्रभाव से एक पत्र भेजा गया थाः -

उपरोक्त विषय के संबंध में, हम प्रस्तुत करते हैं कि मृत्युदंड का दोषी नं। 307 , उमेश बी. आर. अज्जप्पा रेड्डी के पुत्र

अपील याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा खारिज कर दिया गया था और उनकी मौत की सजा की पुष्टि करने वाला एक पत्र इस कार्यालय को भेजा गया है जैसा कि संदर्भ में उल्लेख किया गया है। उक्त विषय वस्तु और प्रक्रियाओं को कई बार विस्तार से समझाया गया है सभी अधिकारियों की उपस्थिति में दोषी, लेकिन चूंकि दोषी मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए वह कोई और दया याचिका दायर करने के लिए सहमत नहीं है। इसलिए हमें उससे कोई दया याचिका नहीं मिली है। जेल के डॉक्टरों ने दोषी की जांच की और एक मेडिकल रिपोर्ट दी है जो आपके अवलोकन और आगे के लिए इस पत्र के साथ संलग्न है।

कार्रवाई "। यह पत्र इस तथ्य की भी पुष्टि करता है कि अपीलार्थी मानसिक रूप से बीमार था।

20. अपीलार्थी के स्वास्थ्य और कल्याण की जाँच करने में चिकित्सा अधिकारी का कार्य स्पष्ट रूप से कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 29 के अधिदेश के कारण था जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः -

" 29. एकान्त कारावास। – एकान्त कारावास के लिए किसी भी कोठरी का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह सक्षम करने के साधनों से सुसज्जित न हो।

कैदी को किसी भी समय जेल के एक अधिकारी के साथ संवाद करने के लिए, और चौबीस घंटे से अधिक समय तक एक कोठरी में बंद प्रत्येक कैदी से, चाहे वह सजा के रूप में हो या अन्यथा, मुलाकात की जाएगी बी. ए. उमेश v.

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिन में कम से कम एक बार अधीनस्थ "।

इसलिए यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि 2006 से 2016 तक अपीलार्थी को "अंधेरी ब्लॉक" में एकांत कारावास में रखा गया था। और इसके बाद ही, एकांत कारावास की कठोरता में कुछ छूट दी गई और जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है, 2016 के बाद से स्थितियों में धीरे-धीरे ढील दी गई।

21. इस मुद्दे पर कानून, जैसा कि सुनील बत्रा में घोषित किया गया है, बहुत स्पष्ट है और जैसा कि इस अदालत ने अजय कुमार पाल में कहा था,

जिस दिन से दोषी को मौत की सजा सुनाई गई थी, उस दिन से उसकी दया याचिका का निपटारा होने तक, सुनील बत्रा 3 में इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन होगा। तत्काल मामले में, निचली अदालत द्वारा 2006 में अपीलार्थी को मौत की सजा सुनाई गई थी और दया याचिका का अंत में माननीय राष्ट्रपति द्वारा 12.5.2013 पर निपटारा किया गया था, जिसका अर्थ है कि 2006 से 2013 तक एकांत कारावास और अलगाव में अपीलार्थी को कैद करना कानून की मंजूरी के बिना था और सुनील बत्रा 3 में इस अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के पूरी तरह से खिलाफ था।

22. अजय कुमार पाल में, सुनील बत्रा 3 में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए दोषी को अलग करने के मुद्दे पर, यह अदालत

यह देखा गयाः -

" 9. इसके अलावा, जैसा कि याचिका में प्रस्तुत किया गया है, याचिकाकर्ता पूरे समय एकांत कारावास में रहा है, यानी जिस दिन से उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। जेल अधिनियम, 1894 की धारा 30 (2) पर विचार करते हुए, जो किसी व्यक्ति को "मौत की सजा के तहत" अलग करने की बात करती है, सुनील बत्रा 5 में न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने कहाः

(एस. सी. सी पी. 563 , पैरा 197-ए)

" 197 - ए. (5) धारा 30 (2) के तहत महत्वपूर्ण धारणा यह है कि एक व्यक्ति 'मौत की सजा के तहत' नहीं है, भले ही सत्रों अदालत ने उसे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन मौत की सजा सुनाई है। वह 'मौत की सजा के तहत' नहीं है, भले ही उच्च न्यायालय पुष्टि या नए सिरे से अपील करके, मौत की सजा लागू करता है, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील होने की संभावना है या स्थानांतरित की गई है या लंबित है। भले ही इस न्यायालय ने मृत्युदंड दिया हो, धारा 30 उसे तब तक शामिल नहीं करती है जब तक कि राज्यपाल और/या संविधान, संहिता [2022] 8 एस. सी. आर. द्वारा अनुमति प्राप्त राष्ट्रपति के लिए दया याचिका।

आवेदन अधिकारियों द्वारा निष्पादन पर कोई रोक नहीं है, वह 'मौत की सजा के तहत' है, भले ही वह आगे बढ़ता रहे

दया याचिकाएँ। उस अंतराल के दौरान वह आकर्षित करता है

धारा 30 (2) में निर्दिष्ट अभिरक्षा अलगाव, के अधीन

प्रावधान को दिया गया सुधारात्मक अर्थ। 'अंडर' होना

मृत्युदंड 'का अर्थ है' अंततः निष्पादन योग्य के अधीन होना।

मृत्युदंड "।

(मूल में जोर)

सहमत निर्णय डी. ए. देसाई में बहुमत के लिए बोलते हुए, जे. ने इस प्रकार कहाः (सुनील बत्रा मामला ', एस. सी. सी. पी. 572 , पैरा 223)

धारा 30 की उप-धारा (2) के संदर्भ का अर्थ केवल यह हो सकता है - कैदी जिसकी मौत की सजा अंतिम, निर्णायक हो गई है

और अक्षम्य जिसे किसी भी द्वारा रद्द या रद्द नहीं किया जा सकता है

न्यायिक या संवैधानिक प्रक्रिया। दूसरे शब्दों में, यह होना चाहिए

एक सजा जिसे प्राधिकरण निष्पादित करने के कर्तव्य के साथ आरोपित करता है

और बिना किसी हस्तक्षेप के आगे बढ़ना चाहिए किसी भी बाहरी प्राधिकरण से।

10. इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा के आलोक में, याचिकाकर्ता को तब तक "अलग" नहीं किया जा सकता था जब तक कि उसकी दया याचिका का निपटारा नहीं हो जाता। इस तरह के निपटारे के बाद ही उन्हें कहा जा सकता है कि

अंततः निष्पादन योग्य मौत की सजा हो। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पहली अदालत द्वारा मौत की सजा के आदेश के बाद से याचिकाकर्ता को एकांत कारावास में सीमित करते हुए बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया था। हमारे विचार में, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार का पूर्ण उल्लंघन है जिससे याचिकाकर्ता को अकथनीय नुकसान होता है।

11. निपटान में अत्यधिक देरी का संयुक्त प्रभाव

दया याचिका और इतनी लंबी अवधि के लिए एकांत कारावास, हमारे विचार में सबसे अधिक अभाव का कारण बना है।

सही माना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक मामला निश्चित रूप से बनाया गया है और यह न्यायालय इस तक पहुंचना उचित समझता है। न्याय के उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता को सांत्वना दें। इसलिए हम सजा को कम करते हैं और याचिकाकर्ता को दी गई मौत की सजा के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा को प्रतिस्थापित करते हैं। इस प्रकार रिट याचिका की अनुमति है। बी. ए. उमेश बनाम

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

24. शत्रुघ्न चौहान में, एकांत कारावास को स्वीकार किया गया था और उन आधारों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी जिनके आधार पर मौत की सजा को कम किया जा सकता है। हालाँकि, 'शत्रुघ्न चौहान' में विचाराधीन मामलों के समूह में, इस आधार पर किसी भी दोषी को कोई लाभ नहीं दिया गया था। पैराग्राफ 88 के बाद, निर्धारित कानून का प्रभाव इस न्यायालय द्वारा सुनील बत्रा 3 और अन्य मामलों पर ध्यान दिया गया और यह निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गयाः -

" 90. इसलिए, सुनील बत्रा के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एकांत कारावास, भले ही मामूली रूप से शांत और संशोधित किया गया हो, जेल अधिनियम की धारा 30 द्वारा "मौत की सजा के तहत" कैदियों के लिए स्वीकृत नहीं है। धारा 30 (2) के तहत महत्वपूर्ण अभिनिर्णय यह है कि कोई व्यक्ति "मौत की सजा के तहत" नहीं है, भले ही सत्र न्यायालय ने उसे मौत की सजा सुनाई हो, बशर्ते कि उसके द्वारा पुष्टि की जाए।

उच्च न्यायालय। वह "मौत की सजा के तहत" नहीं है, भले ही उच्च न्यायालय पुष्टि या नए सिरे से अपीलीय दंड द्वारा, मौत की सजा लागू करता है, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील होने की संभावना है या स्थानांतरित की गई है या लंबित है। भले ही इस न्यायालय ने मृत्युदंड दिया हो, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 30 में उन्हें तब तक शामिल नहीं किया गया है जब तक कि राज्यपाल और/या राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर की गई है। संविधान द्वारा अनुमत राष्ट्रपति का निपटारा नहीं किया गया है। बेशक, एक बार जब राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दिया जाता है, और आगे के आवेदन पर, अधिकारियों द्वारा फांसी पर कोई रोक नहीं होती है, तो व्यक्ति मौत की सजा के तहत होता है। उस अंतराल के दौरान, वह धारा 30 (2) में निर्दिष्ट अभिरक्षा अलगाव को आकर्षित करता है, जो प्रावधान को सौंपे गए सुधारात्मक अर्थ के अधीन है। "मृत्युदंड के तहत" होने का अर्थ है "अंततः निष्पादन योग्य मृत्युदंड के तहत होना"।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

91. यहां तक कि त्रिवेणीबेन बनाम में भी। गुजरात राज्य ', इस न्यायालय ने कहा कि एक कैदी को एकांत कारावास में रखना सुनील बत्रास के फैसले के विपरीत है और यह "अतिरिक्त और अलग" सजा देने के बराबर होगा जो कानून द्वारा अधिकृत नहीं है। यह पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायिक पक्ष पर स्थायी निर्णय के बावजूद, प्रावधानों का वास्तविक कार्यान्वयन वास्तविकता से बहुत दूर है। हम इस अवसर पर जेल अधिकारियों से सुनील बत्रा बनाम मामले में फैसले के वास्तविक इरादे को समझने और लागू करने का आग्रह करते हैं।

दिल्ली प्रशासन। 5. "

25. हालांकि, परिवर्त्तन का लाभ अजय में दिया गया था

कुमार पाल ने इस आधार पर कि एकांत कारावास सुनील बत्रा 3 में निर्धारित सिद्धांतों के खिलाफ था और देरी के आधार पर भी। पूरे मामले पर विचार करने के बाद, हमारे विचार में, तत्काल मामले में एकांत कारावास का प्रभाव स्पष्ट रूप से स्पष्ट था, जैसा कि 6.11.2011 पर चिकित्सा पेशेवर द्वारा दिए गए पत्र और 8.11.2011 पर जेल से निकलने वाले संचार से स्पष्ट होगा। इस प्रकार एकान्त कारावास में कारावास ने अपीलार्थी के कल्याण पर बुरा प्रभाव दिखाया। मामले की इन विशेषताओं की पृष्ठभूमि में, हमारे विचार में, अपीलार्थी को मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने का अधिकार है।

26. इस स्तर पर, हम मोहम्मद में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। मन्नान उर्फ अब्दुल मन्नान बनाम राज्य बिहार 1 2, जहाँ पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते समय मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया था। हालाँकि, इसे पैराग्राफ 87 और 88 में निम्नानुसार देखा गया थाः -

" 87. भले ही आजीवन कारावास का अर्थ है पूरे जीवन के लिए कारावास, दोषियों को अक्सर 14 साल से कम के कारावास के बाद छूट और/या सजा में छूट दी जाती है। इस मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध की जघन्य, विद्रोही, घृणित और घृणित प्रकृति को देखते हुए, हम महसूस करते हैं कि याचिकाकर्ता को अपनी स्वाभाविक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा काटनी चाहिए।

और उसे सजा में कोई छूट नहीं दी जाए।

88. इसलिए हम याचिकाकर्ता को दी गई मौत की सजा को बिना किसी राहत के उसकी स्वाभाविक मृत्यु तक आजीवन कारावास में बदल देते हैं।

या माफी "।

12 (2019) 16 एस. सी. सी. 584 बी. ए. उमेश बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, सीजेआई।

27. अभिलेख पर तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि मृत्यु को कम करते समय

अपीलार्थी को दी गई सजा, हम उस पर एक सवार के साथ आजीवन कारावास की सजा लगाते हैं कि वह न्यूनतम 30 वर्ष की सजा से गुजरेगा और यदि उसकी ओर से माफी के लिए कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो उस पर 30 वर्ष की वास्तविक सजा से गुजरने के बाद ही उसके गुण-दोष पर विचार किया जाएगा। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में निर्धारित किया गया है, आजीवन कारावास की सजा का अर्थ उसके शेष जीवन तक होगा।

28. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

29. अलग होने से पहले, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस निर्णय के पैराग्राफ 3 (एफ) में उद्धृत निर्देश एक असंगत स्थिति की ओर ले जाता है। इसके अनुसार, दया याचिका अपील के निपटारे या विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के सात दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। एक दोषी अभियुक्त तीस दिनों के भीतर पुनर्विचार याचिका दायर करने का हकदार है। अ.

समीक्षा दायर की जाती है, दया याचिका दायर करने की आवश्यकता होती है। संबंधित निर्देश में उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है ताकि दोषी को सक्षम बनाया जा सके। अभियुक्त अदालत में उपचार समाप्त होने के बाद दया याचिका दायर करेगा

कानून।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन (सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

13 ए. आई. आर 1961 एस. सी. 600